राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांक– एफ1(126) संस्थापन/असमावि/निदे/बिड/2019/ 14334 दिनांक 25/3/2021

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत, मूल्यांकन अधिकारी, राजस्थान मूल्याकंन सेवा, जयपुर निवासी ए–2/87 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर को इस कार्यालय के प्रस्ताव पत्र कमांक एफ1(126) संस्थापन/असमावि/निदेशालय/बिड/2019/ 13498 दिनांक 12.03.2021 के द्वारा भारत सरकार की योजना पीएमजेवीके/एमएसडीपी के कार्यों के लिए अनुभवी कार्मिक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से सहमति चाही गई थी। प्रस्ताव का प्रकाशन UBN MAD2021SSSS00062 दिनांक 12.03.2021 के द्वारा SPPP Portal पर किया गया। जिसके क्रम में श्री शर्मा के द्वारा दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत सहमति पर विचार उपरांत उपापन समिति की अभिशंषानुसार विभागीय प्रस्ताव में दर्शायाऐं गये पीएमजेवीके/एमएसडीपी के कार्यों एवं विभागीय आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों के लिये सलाहकार के रूप में दिनांक 01.04.2021 से नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा दिनांक 31.03.2022 तक जो भी पहले हो, तक के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1) (a) के अन्तर्गत एकल स्रोत उपापन के तहत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की परामर्शी/वृत्तिक (Professional) सेवायें लिए जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

1. उक्त नियुक्ति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए है तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एवं नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने तक उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में सक्षम स्वीकृति उपरान्त कार्य की अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार बढायी या घटाई जा सकती हैं।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा विभाग द्वारा दिये गये कार्यों के लिये उत्तरदायी होगें।
3. कार्य समय प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9.30 से सांय 6.00 बजे तक अथवा उच्चाधिकारियों के निर्देश एवं आवश्यकतानुसार रहेगा।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा। प्रत्येक अनुपस्थित दिवस के लिए देय वेतन से माह 30 दिवस का मानते हुए तदनुसार कटौती कर ली जावेगी।
5. इस अवधि के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को रूपयें 25000/– सभी करों सहित (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) स्थिर मासिक पारिश्रमिक देय होगा।
6. श्री शर्मा को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु समेकित पारिश्रमिक के अलावा यात्रा भत्ता आदि अन्य कोई भी भत्ता देय नहीं होगा, यात्रा व्यय आदि सहित समस्त व्यय इनके समेकित पारिश्रमिक में शामिल हैं।
7. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा का मुख्यालय निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर होगा।

लगातार पेज–2

8. अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो कटौतियां/GST उक्त देय पारिश्रमिक से की जावेगी। उक्त देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त विभाग अन्य कोई वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।

9. कार्यग्रहण तिथि से 07 दिवस की अवधि में नियमानुसार रूपयें 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 24 /Secy.MA&W दिनांक 03.03.2021 के द्वारा प्राप्त सहमति एवं विभागीय उपापन समिति की बैठक दिनांक 18.03.2021 में की गई अभिशषा के उपरान्त जारी किया गया है।

24.3.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांक– एफ1(126) संस्थापन/असमावि/निदे/बिड/2019/14340-354 दिनांक 25/3/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक, प्रथम/द्वितीय/एमएसडीपी, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी ए–2/87 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर।
10. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को SPPP पर अपलोड करे ।
11. रक्षित पत्रावली।

24/3

(नसीम खान)
उप निदेशक–प्रथम